

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 10/2022

पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय-प्लॉट नंबर 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली,
शाखा कार्यालय-बापू नगर, जयपुर जरिये दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज
कुमार

...प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सरस्वती विधा विहार समिति
पता-वार्ड नंबर 22, सरस्वती विधा विहार स्कूल, ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील
बसवा जिला दौसा

... (ऋणी)

2. श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी

(मंत्री/जमानती/बंधककर्ता)

पता:-1041, सिकन्दरिया का बास, बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा
राजस्थान

3. श्री छगनलाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी

(सदस्य/जमानती/बंधककर्ता)

पता:-100, सिकन्दरिया का बास, बांदीकुई दौसा

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश



दिनांक: 22.09.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा
बापू नगर, जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी मैसर्स सरस्वती विधा विहार समिति, पता-वार्ड
नंबर 22, सरस्वती विधा विहार स्कूल, ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला
दौसा को 2,36,00,000/- (रुपये दो करोड छत्तीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा
उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान
हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया।
अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण
राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत
अप्रार्थी ऋणी व सहऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण
राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी
सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of the security interest, 2002**
की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर को सुना गया।
हमने प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का

अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री छगन लाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी एवं श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी की संपत्ति जो खसरा नंबर 796, वार्ड नंबर 22, गांव जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल (1) प्लॉट नंबर 1 का कुल क्षेत्रफल 1150.50 वर्गगज (2). प्लॉट नंबर 1 ए का कुल क्षेत्रफल 1969.50 वर्गफीट, (3). प्लॉट नंबर 1 बी का कुल क्षेत्रफल 8385 वर्गफीट, (4). प्लॉट नंबर 2 का कुल क्षेत्रफल 2400 वर्गफीट है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बापू नगर, जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा